

दिल्ली विकास प्राधिकरण

गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश: 1680

दिनांक:- 27/12/18

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों (सहायकों) को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रू. के पे बैंड में 4800/- रू. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:-

| क्रम सं. / वरियता सं. | नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री | तैनाती का वर्तमान स्थान |
|-----------------------|---|------------------------------------|
| 1/1578 | ईश्वर दयाल सुपुत्र श्री सुंदर लाल | मुख्य अभियंता (रोहिणी) |
| 2/1579 | चिंता मणि सुपुत्र श्री धर्म चंद | सिविल परिमंडल - 11 |
| 3/1580 | राम पाल सुपुत्र श्री गणेशी लाल | लेखाधिकारी (रोकड़) मुख्य |
| 4/1503 | ओमवीर सिंह राठी सुपुत्र श्री महेंद्र सिंह | कार्मिक शाखा - 2 |
| 5/1510 | जीत राम सुपुत्र शंकर दत्त | लेखाधिकारी (संपत्ति)/डब्लू.ए.सी.-1 |

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रू. के वेतनमान में 4800/- रू. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उनकी तैनाती / स्थानांतरण को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:-

| क्रम सं. / वरियता सं. | नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री | स्थान से | स्थान को |
|-----------------------|---|-------------|---|
| 1/1578 | ईश्वर दयाल सुपुत्र श्री सुंदर लाल | पदोन्नति पर | पी.एम.आई.एस. (कार्मिक) |
| 2/1579 | चिंता मणि सुपुत्र श्री धर्म चंद | पदोन्नति पर | आवास |
| 3/1580 | राम पाल सुपुत्र श्री गणेशी लाल | पदोन्नति पर | लेखाधिकारी (रोकड़) मुख्य (सेवानिवृत्त तक) |
| 4/1503 | ओमवीर सिंह राठी सुपुत्र श्री महेंद्र सिंह | पदोन्नति पर | कार्मिक शाखा (सेवानिवृत्त तक) |
| 5/1510 | जीत राम सुपुत्र शंकर दत्त | पदोन्नति पर | लेखाधिकारी (संपत्ति)/डब्लू.ए.सी.-1 (सेवानिवृत्त तक) |

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।



(तेजपाल सिंह)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

-:2:-

सं.-एफ.10(73)2018/सी.सी./ 1744

दिनांक:- 27/12/18

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. मुख्य अभियंता, (रोहिणी) दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
5. अधिक्षण अभियंता, सिविल परिमंडल - 11, दि.वि.प्रा. ।
6. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता / प्रणाली / आवास (समन्वय), दि.वि.प्रा. ।
7. उप निदेशक (कार्मिक)-1, 2 एवं 3 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष / आवास (समन्वय), दि.वि.प्रा. ।
8. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions 2018) ।
9. लेखाधिकारी (संस्था) / (रोकड़) मुख्य / (संपत्ति),डब्लू.ए.सी.-1 / राजपत्रित / अराजपत्रित-IV / सम्बंधित (सी.ए.यू.), दि.वि.प्रा. ।
10. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / (गोपनीय कक्ष)-2, दि.वि.प्रा. ।
11. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
12. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

सहायक निदेशक (गोपनीय शाखा)